पांच रुपये COURT FEE कोर्ट फी भारत INDIA FIVE RUPEES Rs.5

(39)

न्यायालय माननीय [illegible] केम्प भोपाल म0प्र0

प्र0क्र0 /2014 निगरानी

R. 1315-I/14

श्री राजकुमार सक्सेना अभिभाषक द्वारा दिनांक 18/4/14 को प्रस्तुत
18/4/14
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

अब्दुल हाफीज पुत्रश्रीस्व. नजरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी झूलनपीर विदिशा तहसील व जिला विदिशाम0प्र0 .....प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1. अब्दुलसलाम पुत्रश्री. स्व. नजर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी झूलनपीर विदिशा तहसील व जिलाविदिशा म0प्र0

2. अब्दुल रहमान पुत्र स्व.श्री नजरमोहम्मद(फौत)

अ. रुकसाना वेवा अब्दुल रहमान

ब. मोहम्मद जावेद पुत्र स्व.अब्दुल रहमान

स. मोहम्मद परवेज पुत्र स्व.अब्दुल रहमान

द. रिजवाना पुत्री स्व.अब्दुल रहमान

ई. शवाना पुत्र अब्दुल रहमान.

फ. शवनम पुत्री स्व.अब्दुल रहमान सभी (बालक) जाति मुसलमान सभी निवासी गोचयानगली लक्ष्मीटाकिज के पास भोपाल म0प्र0 .....

3. म0प्र0 शासन .... प्रति./प्रतिनिगरानी

भोपाल [illegible]
16/5/14

21-5-14

निगरानी बखिलाफ आदेश दिनांक 01.10.2012 न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, विदिशा के प्रकरण क्रमांक 76 निगरानी /2006/2007 अब्दुल सलाम बनाम अब्दुलरहमान आदि में दाखिल होकर अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता ।

R. S. Rathore
रामबाबू राठौर
बी.ए.एल-एल.बी. (एडवोकेट)

(38)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – विदिशा

प्रकरण क्रमांक निग0 1315–एक / 14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.8.14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । 2– प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा के बिंदु पर दिए गए तर्को पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में उल्लेख किया है पूर्व में उनके न्यायालय द्वारा एस.डी.ओ. एवं तहसील न्यायालय के आदेशों को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित कियाग या था और उसी के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा राजस्व अभिलेखों में मूल प्रविष्टि दर्ज करने के आदेश दिए हैं और उक्त कारण से उन्होंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके आदेष में कोई विधिक त्रुटि नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (हस्ताक्षर) प्रशा. सदस्य	